न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रोहिण्डी

बनाम

अप्रार्थी :– श्री राजुराम,जगदीश पिता आईदानराम निवासी मालासगुसाईया

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 68 / 17

निर्णय दिनांक 02 / 11 / 2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रोहिण्डी ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद मालासगुसाईया के ख.न 328 रकबा 0.02 है. भूमि किस्म गोचर में मूंग की काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी की माता से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी दिनांक 15.9.2017 को जगदीश पुत्र आईदान राम उपस्थित हुआ लेकिन कोई जबाब प्रस्तुत नही किया इस लिए अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदख्ाल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0200 है. भूमि के 0.10 रूपये लगान का 50 गुणा 5/– अक्षरे पांच रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। साथ ही मौके पर बोई गई बाजरे एंव चवले की फसल को भू.अ.निरीक्षक रोहिण्डी द्वारा कुर्क कर निलाम की गई जिसमें अन्तिम बोली 60/ साठ रूपये श्री बन्नाराम पुत्र भागीरथ राम जाट निवासी मालासगुसाईया की रही जो स्वीकृत की गई जुर्माना एंव फसल निलामी राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर एंव भू.अ. निरीक्षक रोहिण्डी को वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल द तर हो।

तहसीलदार परबतसर

20/7-18 4

5/- 60/-

तहसील राजस्व लेखाकार